

प्रेषक,

डा० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 10 मई, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट के सापेक्ष उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर, (उधमसिंह नगर) में वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान के पत्रांक 1260/दिनांक 19.03.2018 एवं पत्र संख्या 1262/ दिनांक: 20.03.2018 में की गयी संस्तुति एवं वित्त विभाग के शासनादेश 519/दिनांक 02.04.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर, (उधमसिंह नगर) के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू० 1.55 लाख एवं उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2012 के अन्तर्गत नव नियुक्त अधिकारियों के 45 दिन का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू० 1.39012 लाख, इस प्रकार कुल रू० 2.94012 लाख (रू० दो लाख चौरानब्बे हजार बारह मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट में से आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास, पौड़ी द्वारा बैंक ड्राफ्ट/ई-ट्रान्सफर के माध्यम से उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि संस्थान के केवल प्रशिक्षण मद पर ही नियमानुसार व्यय की जायेगी। अन्य मदों पर उक्त धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
3. प्रश्नगत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2019 तक किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रश्नगत योजना में निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से केन्द्रांश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्यांश की अवशेष देयता हो, की नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।
5. उक्त योजना की धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों/मानकों का अनुपालन किया जाय।

7. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. धनराशि के दोहरे आहरण के लिये संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-003- प्रशिक्षण -04-उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम-44 प्रशिक्षण व्यय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग-1 के शासनादेश संख्या: 183/XXVII-1/2012 दिनांक: 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1805190050 दिनांक 07.05.2018 से जेनरेट कर एवं वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 11/वित्त-4/2018 दिनांक 07.05.2018 में प्राप्त उनकी सहमति के कम में जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या: /XI/2018/56(22)2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर।
4. अनु सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
5. अनु सचिव, नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 900 XII/18/56(02)2018

अनुदान संख्या - 019

अलोटमेंट आई डी - S1805190050

आवंटन पत्र दिनांक -07-May-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: लेखा शीर्षक 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 00 -
003 - प्रशिक्षण
04 - उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम
00 - -

Voted			
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	294012	294012
	0	294012	294012

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

294012

9